



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

27 पौष, 1944 (श०)

संख्या - 19 राँची, मंगलवार,

17 जनवरी, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

11 नवम्बर, 2022

संख्या-5/आरोप-1-43/2020-18013(HRMS)--श्री सुरेन्द्र कुमार, झा०प्र०से० (द्वितीय बैच), तत्कालीन अंचल अधिकारी, पंडवा, पलामू के विरुद्ध उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-193, दिनांक 10.06.2020 द्वारा आरोप-पत्र (प्रपत्र-‘क’) गठित कर उपलब्ध कराया गया। प्रपत्र-‘क’ में श्री कुमार के विरुद्ध निम्नांकित आरोप गठित किया गया-

1. पलामू जिला के पंडवा अंचल में वर्ष 2015 में घोषित सुखाड़ से प्रभावित किसानों को सुखाड़ से राहत पहुँचाने के क्रम में श्री सुरेन्द्र कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, पंडवा द्वारा अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण में शिथिलता बरती गई, जिसके कारण दोहरा भुगतान हुआ ।

2. श्री सुरेन्द्र कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, पंडवा द्वारा उक्त कार्य में पूर्ण शीलनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव प्रदर्शित किया गया, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(1)(i) एवं (ii) के प्रतिकूल आचरण है ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-3217, दिनांक 10.07.2020 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गई। इसके अनुपालन में श्री कुमार के पत्रांक-314, दिनांक 31.07.2020 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण का मुख्य बिन्दु निम्नवत् है-

(i) अंचल कार्यालय में सहायक के पांच स्वीकृत पद के विरुद्ध केवल दो सहायक कार्यरत् थे। इसके अतिरिक्त पंडवा अंचल में दो राजस्व कर्मचारी एवं दो जन सेवक पदस्थापित थे ।

(ii) सभी आपदा कर्मियों को स्पष्ट निदेश दिया गया था कि-

1. आवेदन पत्र पर पंचायत कार्यकारणी/मुखिया एवं कृषक मित्र के द्वारा आवेदक के सुखाड़ से प्रभावित होने की पुष्टि अवश्य होनी चाहिए ।
2. आवेदन पत्र पर आवेदक का स्वघोषित वंशावली होनी चाहिए। अगर इसकी वंशावली का सत्यापन पंचायत प्रतिनिधि से कराना जरूरी समझें तो अवश्य करा लें ।
3. आवेदन में अद्यतन लगान रसीद संलग्न होना चाहिए ।
4. आवेदन के साथ आवेदक का आधार नं० एवं बैंक खाता की छायाप्रति संलग्न होनी चाहिए ।
5. आवेदक के द्वारा स्वघोषित वंशावली तथा संलग्न लगान रसीद के आधार पर उनके हिस्से में पड़ने वाली जमीन का उल्लेख करते हुए राशि की अनुशंसा करेंगे ।
6. आवेदक को किसी भी परिस्थिति में अधिकतम 02 हेक्टेयर की भूमि से अधिक राशि की अनुशंसा नहीं करेंगे ।
7. उपर्युक्त निर्देशों के अनुपालन में अगर किसी को गलत राशि का भुगतान हो जाता है या त्रुटि पायी जाती है तो आपदा विभाग के द्वारा जारी आवेदन प्रपत्र में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि इसकी सारी जवाबदेही आपदा कर्मों की होगी ।

(iii) कुल 09 अभिलेखों के माध्यम से 2435 कृषकों को राशि भुगतान हेतु अभिलेख जिला में भेजा गया था। कुछ आवेदकों के द्वारा एक ही आवेदन को दो बार जमा किया गया था एवं संबंधित पंचायत के आपदा कर्मों द्वारा दोनों ही आवेदन पत्रों की जांच करते हुए भुगतान की अनुशंसा अलग-अलग समय में की गई, जिसके कारण इस तरह की त्रुटियों को कार्यालय सहायक के द्वारा अभिलेखबद्ध करते समय नहीं पकड़ी जा सकी ।

(iv) अपर समाहर्ता के पत्रांक-324, दिनांक 30.10.2017 के आलोक में दोहरा भुगतान पाने वाले कृषकों से 1,30,000/- रु० की वसूली कर ली गई थी ।

(v) उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-332, दिनांक 09.11.2017 के आलोक में दोहरा भुगतान पाने वाले लाभुकों की अनुशंसा करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध उनके कार्यालय पत्रांक-620, दिनांक 23.11.2017 द्वारा प्राथमिकी दर्ज करायी गई ।

(vi) जिन लाभुकों ने एक ही आवेदन को दो बार जमा किया था, उनसे राशि वसूल कर कुल 2,71,525/- रु० जिला नजारत शाखा, पलामू में जमा करवा दिया गया ।

श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-4889, दिनांक 29.09.2020 द्वारा उपायुक्त, पलामू से मंतव्य की मांग की गई। उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-371, दिनांक 28.12.2020 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें उपायुक्त, पलामू द्वारा मंतव्य दिया गया है कि श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में अंचल में पदस्थापित आपदा कर्मचारियों को दिये गये निर्देश बिन्दु 1 से 7 के संबंध में किसी प्रकार का साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है। साथ ही उपायुक्त, पलामू द्वारा इस मामले में श्री कुमार द्वारा अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण में चूक प्रतिवेदित किया गया है।

श्री कुमार के विरुद्ध गठित आरोप, आरोपों पर इनका स्पष्टीकरण एवं इनके स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, पलामू द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक-999, दिनांक 17.02.2021 द्वारा उपायुक्त, पलामू से प्रतिवेदन की माँग की गई।

उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-493, दिनांक 02.12.2021 द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया जिसमें अंकित किया गया कि “अंचल अधिकारी, पण्डवा के पत्रांक-462, दिनांक 25.11.2021 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दोबारा भुगतान हुआ मो० 2,71,524.00 (दो लाख इकहत्तर हजार पाँच सौ चौबीस) रुपये, जो वसूली योग्य थी, जिसे किसानों से वसूली कर ली गयी है। किसानों से वसूली की गयी राशि उपायुक्त, पलामू के पदनाम से मो० 2,71,524.00 (दो लाख इकहत्तर हजार पाँच सौ चौबीस) रुपये का चेक सं०- 000923, दिनांक 05.02.2018 से नजारत उप समाहर्ता, पलामू के कार्यालय में जमा किया जा चुका है।”

पुनः विभागीय पत्रांक-1006, दिनांक 22.02.2022 द्वारा उपायुक्त, पलामू से निम्न बिन्दु पर प्रतिवेदन की माँग की गई- “कुल कितने लाभुकों के बीच राहत भुगतान किया गया तथा कितने मामलों में दोहरा भुगतान हुआ?”, जिस पर उपायुक्त, पलामू द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया कि कुल 2435 लाभुकों के बीच राहत भुगतान किया गया तथा 47 मामलों में दोहरा भुगतान हुआ है। वसूल करने योग्य राशि मो० 2,71,524 रु वसूल कर नजारत उपसमाहर्ता, पलामू के कार्यालय में जमा कर दी गयी हैं।

श्री कुमार के विरुद्ध गठित आरोप एवं उपायुक्त, पलामू द्वारा प्रेषित मंतव्य/ प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण में श्री कुमार की चूक परिलक्षित होती है।

अतः श्री सुरेन्द्र कुमार, झा०प्र०से०, तत्कालीन अंचल अधिकारी, पण्डवा, पलामू के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत “निन्दन” का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	SURENDRA KUMAR JHK/JAS/118	श्री सुरेन्द्र कुमार, झा०प्र०से० (द्वितीय बैच), तत्कालीन अंचल अधिकारी, पंडवा, पलामू, के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत “निन्दन” का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री सुरेन्द्र कुमार, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
